



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2003/पौष 2, 1925

No. 209]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2003/PAUSA 2, 1925

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 23 दिसम्बर, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2003

फा.सं. भाप्रविबो/विधि/15/2003.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2003 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में उसकी अनुसूची में—
  - i. शीर्ष 'सीधी भर्तियों के लिए आयु, अर्हता एवं अनुभव' के अधीन स्तंभ (कॉलम) में श्रेणी घ, ङ एवं च के पद के सम्मुख, शब्दों "विधिक धारा के लिये प्रथम वर्ग में विधि में स्नातक की उपाधि या विधि में स्नातकोत्तर की उपाधि" को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :  
"विधिक धारा के लिये न्यूनतम 55% अंकों के साथ विधि में स्नातक की उपाधि या विधि में स्नातकोत्तर की उपाधि"।
  - ii. शीर्ष 'सीधी भर्तियों के लिए आयु, अर्हता एवं अनुभव' के अधीन स्तंभ (कॉलम) में श्रेणियों 'क', 'ख', 'ग', 'घ', 'ङ' एवं 'च', और कार्यपालक निदेशक के पदों के लिए क्रमशः 27, 30, 35, 40, 43, 47 और 50 वर्षों की नियत ऊपरी आयु को 30, 35, 40, 45, 48, 52 और 55 वर्षों की ऊपरी आयु से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/69 जेडबी/2003/अस.]

पाद टिप्पण :— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001, मूल विनियम, सं. का.आ. 857(अ), 6 दिसम्बर, 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 23rd December, 2003

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (EMPLOYEES' SERVICE)  
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2003**

**F. No. SEBI/LE/15/2003.**—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Employees Service) Regulations, 2001, namely :—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees Service) (Amendment) Regulations, 2003.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In Securities and Exchange Board of India (Employees Service) Regulations, 2001, in the Schedule thereto—
  - i. in the column under the head 'Age, Qualification and Experience for Direct recruits' against the post in Grade D, E and F, the words "first class Bachelors Degree in Law or LLM for legal Stream" shall be substituted with the following :  
"Bachelors Degree in Law with a minimum of 55% marks or LLM for legal stream"
  - ii. in the column under the head 'Age, Qualification and Experience for Direct recruits', stipulated upper age of 27, 30, 35, 40, 43, 47 and 50 years for the posts in grades 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' and Executive Director respectively shall be substituted with the upper age of 30, 35, 40, 45, 48, 52 and 55 years.

G. N. BAJPAI, Chairman

[ADVT. III/IV/69 ZB/2003/Exty.]

**Footnote :—** The Securities and Exchange Board of India (Employees Service) Regulations, 2001, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on 6th September, 2001 vide No. S. O. 857(E).